

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 988/2011/अजमेर.

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,
ब्यावर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर
2. वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, अजमेर

.....प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से


दिनांक : 16/11/2017


निर्णय

यह अपील व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 176/09-10/वैट/ब्यावर में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उक्त अपील अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है परन्तु उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2011 को संशोधित कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध भी उक्त आदेश सहित अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कर बोर्ड की अपील संख्या 141/2012/अजमेर में निर्णय दिनांक 14.11.2011 किया जा चुका है, परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के. एल.जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष